



An ideal institute for
Competitive Exams

9414015200

श्रीराम कॉम्पिटिशन
क्लासेज प्रा. लि. सीकर

हेड ऑफिस: भाटी मेंशन, बजाज रोड, सीकर 01572-254777

HAND WRITTEN
Classroom Coaching
NOTES

Best Faculty Team + Super Coaching System + Personal care = **श्रीराम** कोचिंग, सीकर

विषय :- **राजनीति विज्ञान**

REET L-I & L-II

मूल अधिकार	नीति निर्देशक तत्व
भाग - 3	भाग - 4 से
अनु-12-35	अनु-36-51
USA	लीखा है → आयरलैंड
सकारात्मक	→ वाद योग्य नहीं
व्यक्ति को	नीति निर्देशक तत्व
	भाग - 4
	अनु-36-51
	आयरलैंड
	सकारात्मक
	वाद योग्य नहीं
	राज्य को
	उद्देश्य - लोकस्थानकारी राज्य
→ भारतीय संविधान के भाग-(4) के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है।	
→ ये आयरलैंड के संविधान से लिये गए हैं।	
→ इन पर कोई न्यायिक शक्ति कार्य नहीं करती। अर्थात् ये वाद योग्य नहीं होते हैं।	
→ इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है तथा ये आदर्शवाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।	
→ ये राज्य को दिशा निर्देश के रूप में प्रदान किये गए हैं।	
→ लोकस्थानकारी राज्य की स्थापना हेतु इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। (सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु)	
→ इन्हें "लेग वहाइवर सप्रू" समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया।	
अनु-39	समान कार्यों के लिए समान वेतन
अनु-40	राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु उचित कदम उठायेगी।
अनु-44	एक समान सिविल संहिता (कानून) का
अनु-45	व्यपन (6-6) की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था।



An ideal institute for
Competitive Exams

9414015200

श्रीराम कॉम्पिटिशन
क्लासेज प्रा. लि. सीकर

हेड ऑफिस: भाटी मेंशन, बजाज रोड, सीकर 01572-254777

HAND WRITTEN
Classroom Coaching
NOTES

Best Faculty Team + Super Coaching System + Personal care = **श्रीराम** कोचिंग, सीकर

विषय :- **राजनीति विज्ञान**

REET L-I & L-II

अनु. 19 (6-14)

MIRAJ
Page No.
Date:
www.mirajmulticolour.com

अनु. (49) राष्ट्रीय महत्व के इस्लाम, वस्तुओं एवं स्मारकों का संरक्षण
अनु. (50) कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण
अनु. (51) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सहयोग की अभिवृद्धि
इसी अनुच्छेद के तहत भारत की विदेश नीति निर्धारित की जाती है।

→ भाग (प) के अलावा भाग (मि) (राजभाषा) में भी (2) अन्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है।

→ अनुच्छेद 350 प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए।

→ अनुच्छेद 351 हिन्दी को प्रोत्साहन देना चाहिए।

Date:-
30/04/13

मौलिक कर्तव्य (जाऊ सै जा रतम)

→ उन्हें 42 वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया।

→ उन्हें भाग 4 (क) के अनुच्छेद 31(क) के तहत जोड़ा गया।

→ ये रत्न के संविधान से लिये गये हैं।

→ इनकी प्रकृति समारात्मक होती है।

→ ये वाद योग्य नहीं होते परन्तु इनका उल्लेखन करने पर दण्ड का प्रावधान है। जैसा कि आईपी एल में ललित मोदी ने किया।

→ जब जोड़े गये तब इनकी संख्या (10) थी।

→ परन्तु 86 वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह मूल कर्तव्य बना दिया गया कि वे अपने वस्तुओं की राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा